राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 122 / 2019 **जीसीएमएस नम्बर :– 2019 / 01155**

1. जगदीश
2. विजय भार्गी } पुत्रान श्योप्रसाद
3. सुरेश
4. श्रीमती मरवण पत्नी श्योप्रसाद जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राजं

.............वादीगण

बनाम

1. ईश्वर सिंह पुत्र टेकचंद
2. पतासी पुत्री टेकचंद पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी भालोठ, तहसील बुहाना, झुन्झुनू
3. सावत्री पुत्री टेकचंद पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी भिर्र, तहसील बुहाना, झुन्झुनू
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना।

..............प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणात्मक

–:निर्णय:–

दिनांक :– 03/5/24

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वादीगण सं. 1 से 3 का पिता एवं वादीनी सं. 4 का पति स्व. श्योप्रसाद एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 का पिता टेकचंद सहोदर भ्राता थे व ग्राम भालोठ स्थित कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2031 खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 148 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 384 रकब 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 532 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 627 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 641 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 645 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 649 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 720 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, [illegible] 626 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 71 बीघा 1[illegible] रखता प्रतिवादी सं 4 के आधीन बराबर बराबर के खातेदार काश्तकार थे [illegible] खाता विभाजन कर अपने अप[illegible] के अनुसार सहमति से [illegible] काबिज [illegible] थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.06.13 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

2. यह कि टेकचंद के जीवनकाल में ही उसके पु. जुगलाल व पुत्री सरस्वती ने अपने पिता की खातेदारी के हिस्से में से अपने भाग की भूमि अलग करवाकर अलग खाता कायम करवा लिए थे, जुगलाल पुत्र टेकचंद का नया खाता सं. 62 खसरा नम्बर 866 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 918 रकबा 0.01 है.,खसरा नम्बर 919 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 941 रकबा 0.77 है., खसरा नम्बर 920/3 रकबा 0.84 है., कुल रकबा 1.89 है. एवं सरस्वती पुत्री टेकचंद का खाता संख्या 244 खसरा नम्बर 219/2 रकबा 1.09 है., खसरा नम्बर 692/1 रकबा 0.84 है. रकबा 1.93 है. कायम हो गया।
3. यह कि इस प्रकार पुराने खाता सं. 57 में टेकचंद के आधे, भाग में से जुगलाल एवं सरस्वती को दी गई क्रमशः 1.89 है. व वर्तमान खाता नम्बर 44 जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 ग्राम भालोठ है।
4. यह कि वर्तमान भू–प्रबंध में पक्षकारों की खातेदारी की उकत भूमि का जमाबंदी समवत् 2062 से 2065 में खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 219 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 220 रकबा 3.24 है., खसरा नम्बर 563 रकबा 1.75 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 1.25 है., खसरा नम्बर 592/2 रकबा 0.84 है., खसरा नम्बर 713 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 742 रकबा 0.96 है., खसरा नम्बर 803 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 916 रकबा 0.01 है. चाह, खसरा नम्बर 917 रकबा 3.47 है. खसरा नम्बर 920/2 रकबा 2.25 है., खसरा नम्बर 959/1 रकबा 0.03 है., कुल किता 12 कुल रकबा 14.28 है. कामय हुए है। जिसमें से टेकचंद के भागो से उसके पुत्र जुगलाल व पुत्री सरस्वती को दी गई 3.82 है. भूमि कम हो गई है। एवं वादीगण के हिस्से में 9.05 है. व प्रतिवादीगण के हिस्से में 5.23 है. भूमि आती है। पक्षकारान अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है।

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

यह कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 डिक्री फरमाया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को वादान्तर्गत भूमि हाल खसरा नम्बर 219 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 220 रकबा 3.24 है., खसरा नम्बर 563 रकबा 1.75 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 1.25 है., खसरा नम्बर 592/2 रकबा 0.84 है., खसरा नम्बर 713 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 742 रकबा 0.96 है., खसरा नम्बर 803 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 916 रकबा 0.01 है. चाह, खसरा नम्बर 917 रकबा 3.47 है. खसरा नम्बर 920/2 रकबा 2.25 है., खसरा नम्बर 959/1 रकबा 0.03 है., कुल किता 12 कुल रकबा 14.23 है. वाके ग्राम भालोठ तहसील बुहाना को क्रमशः 9.05 है. व 5.23 है. हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उसी अनुसार खाता विभाजन कर रिकॉर्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई। जरिये ... प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.06.13 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

से राजीनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की बावजुद सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 3 की दिनांक 18.03.2011 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 01.02.2012 को अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 को दिनांक 25.10.2012 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 के मध्य हुआ आपसी राजीनामा दिनांक 05.11.2012 (प्रदर्श–अ) पेश किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2012 को की गई। तहसीलदार बुहाना से दिनांक 19.09.2013 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार दिनांक 20.09.2013 को वाद को अन्तिम डिक्री किया गया।

श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी सीकर मुख्यालय झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 11.10.2017 के द्वारा निर्णय दिनांक 12.12.2012 प्राथमिक डिक्री व दिनांक 20.09.2013 अन्तिम डिक्री को खारिज किया जाकर इस निर्णय के साथ रिमाण्ड की गई। कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करे। एवं पत्रावली प्राप्त होने पर पुत्र नम्बर पर दर्ज किया गया। प्रार्थी ईश्वर सिंह ने प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी का पेश किया गया। वादी की और से जवाब प्रतिदावा पेश किया गया प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार दिनांक 24.06.2019 को किया गया। एवं राजीनामा दिनांक 10.10.2019 को पेश किया गया। एवं पुनः प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.07.2022 को की गई।

तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 08 दिनांक 05.01.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2801 दिनांक 15.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2062–65, जमाबंदी सम्वत् 2066–69 खाता सं. 244, खाता सं0 62, सम्वत् 2066–69 खाता सं. 55, जमाबंदी नकल नक्शा पेश किये गये। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। व पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन व मनन किया गया। जिसके बाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.06.13 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी 1 लगायत 3 बाबत खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भालोठ स्थित हाल खसरा नम्बर 219/1 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 220 रकबा 3.24 है., खसरा नम्बर 563 रकबा 1.75 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 1.25 है., खसरा नम्बर 592/2 रकबा 0.84 है., खसरा नम्बर 713 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 742 रकबा 0.96 है., खसरा नम्बर 803 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 916 रकबा 0.01 है. चाह, खसरा नम्बर 917 रकबा 3.47 है. खसरा नम्बर 920/2 रकबा 2.25 है., खसरा नम्बर 959/1 रकबा 0.03 है., कुल किता 12 कुल रकबा 14.28 है0 में मुताबिक राजीनामा दिनांक 10.10.2019 (प्रदर्श–अ) व नजरी नक्शा प्रदर्श–''ब'' के अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने हेतु आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 08 दिनांक 05.01.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2801 दिनांक 15.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 03/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.06.13 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:– 122/2019

जगदीश प्रसाद आदि **बनाम** ईश्वर सिंह आदि आदि

दावा बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री महावीर चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ओर से श्री मुकेश चौधरी की उपस्थिती में इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी 1 लगायत 3 बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भालोठ स्थित हाल खसरा नम्बर 219/1 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 220 रकबा 3.24 है., खसरा नम्बर 563 रकबा 1.75 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 1.25 है., खसरा नम्बर 592/2 रकबा 0.84 है., खसरा नम्बर 713 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 742 रकबा 0.96 है., खसरा नम्बर 803 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 916 रकबा 0.01 है. चाह, खसरा नम्बर 917 रकबा 3.47 है. खसरा नम्बर 920/2 रकबा 2.25 है., खसरा नम्बर 959/1 रकबा 0.03 है., कुल किता 12 कुल रकबा 14.28 है0 भूमि में मुताबिक राजीनामा दिनांक 10.10.2019 (प्रदर्श–अ) व नजरी नक्शा प्रदर्श–"ब" के अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

यह आज तारीख 03/5/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.06.13 10:32:51 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)